समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,)
आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–04 दिनांक–23.04.15 द्वारा वित्तीय वर्ष–2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघु शीर्ष–200 अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष–0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड–N2235602000008 मॉग संख्या–39 यूनिट कोड–3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में प्राप्त आवंटन मो0–3.00 (तीन लाख) रू0 को अंचल अधिकारी अरेराज एवं मेहसी को नदी में डूबने एवं नाव दुर्घटना में मृत्यु के कारण निम्नांकित विवरणी के अनुसार मृतकों के निकटतम परिजनों को भुगतान हेतु निम्न प्रकार राशि उपावंटित की जाती है:–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	उपावंटित राशि	व्यय का विवरण
1	2	3	4
1	अंचल अधिकारी अरेराज	1.50(एक लाख पचास हजार)रू0	दिनांक–15.07.2013 को नदी में डूबने से मृत गुड्डू कुमार के निकटतम परिजन पन्नालाल साह (पिता) ग्राम–मिश्रौलिया थाना–गोविन्दगंज अंचल–अरेराज को 1.50(एक लाख पचास हजार) रूपया
2.	अंचल अधिकारी मेहसी	1.50 (एक लाख पचास हजार)रू0	दिनांक–18.07.2013 को नाव दुर्घटना में मृत मो0 असफाक के निकटतम परिजन अब्दुल रहीम सा0–मानिकपुर पो0–गड़हीया अंचल तेतरिया को 1.50 (एक लाख पचास हजार)रू0

अंचल अधिकारी अरेराज एवं मेहसी को निदेश दिया जाता है कि इसकी निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से करेगें अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक–30.06.15 तक भेज दिया जाय साथ ही इस राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय।

यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नही हो सकें तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक–30.06.15 तक निश्चित रुप से कर दे अन्यथा उसे व्यय मानते हुए सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। एवं इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 180 सा0सु0दिनांक 28/5/15

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, अरेराज/मेहसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक, आई0टी0 मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/5/15

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।